

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग


क्रमांक 14(4)/शिक्षा-1/एकी./2014/ बी -पार्ट 1

जयपुर, दिनांक: 24/7/17

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.06.2016 द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बावडी, पं. स. खण्डेला, जिला सीकर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावडी, पं. स. खण्डेला, जिला सीकर में समन्वित किया गया था। उक्त आदेशों के क्रम में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बावडी, पं. स. खण्डेला, जिला सीकर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावडी, पं. स. खण्डेला, जिला सीकर में किए गए समन्वयन से मुक्त करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावडी कक्षा 1 से 12 तक संचालित हो इस हेतु राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बावडी जिला-सीकर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावडी जिला सीकर में एतद्वारा समन्वित किया जाता है।

शेष शर्तें यथावत रहने के साथ ही उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से

(आर. एस. झालानी)
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राज, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार)।
4. विशिष्ट शासन उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव,।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
10. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को भेजकर निदेशानुसार लेख है कि समन्वय से पृथक किये गए विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था संचालन हेतु पूर्वतर संचालन की व्यवस्था करावे तथा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सीकर एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नाडी, पं. स. पीपराली, जिला सीकर को निर्देश प्रदान करें कि इस विद्यालय को माध्यमिक स्तर पर पुनः संचालन करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि नामांकन (विद्यार्थी संख्या) में बढ़ोतरी की जायेगी।
11. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर।
12. संभागीय आयुक्त,-----
13. जिला कलक्टर, सीकर।
14. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा (ग्रुप-2,5,6.) विभाग।
15. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा संभाग -----
16. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, सीकर।
17. रक्षित पत्रावली।



(बी के गुप्ता)
विशेषाधीकारी, शिक्षा